न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./41/2020/बाड़मेर

अपीलांटरा	रेस्पोडेंटगण
जवाराराम पुत्र भगाराम फौत का.मु. 1. तुलछाराम पुत्र जवाराराम 2. दुर्गाराम पुत्र जवाराराम 3. प्यारी पत्नी जवाराराम 4. चैनाराम पुत्र जवाराराम का.मु. 4/1अशोक पुत्र चैनाराम 4/2सुमेर पुत्र चैनाराम 4/3सुआ पत्नी चैनाराम जाति नाई निवासी महादेव मंदिर, परेऊ तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर	1. जेठाराम पुत्र मेहराराम का.मु. 1/1गजाराम पुत्र जेठाराम 2. गजाराम पुत्र भगाराम 3. किशनाराम पुत्र किरपाराम 4. भूराराम पुत्र किरपाराम 5. वावू पुत्र किरपाराम 6. हडमानराम पुत्र किरपाराम 7. पुरखाराम पुत्र किरपाराम 8. दरियाव पत्नी दुर्गाराम जाति नाई निवासी महादेव मंदिर, परेऊ तहसील गिड़ा जिला वाड़मेर 9. तहसीलदार गिड़ा जिला वाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 07/1996 बअनवान जेठाराम बनाम किशनाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.03.1999 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री डूंगरसिंह महेचा अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री दामोदरकुमार चौधरी रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—08.08.2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 575 रकबा 165 बीघा, खसरा संख्या 610 रकबा 145.02 बीघा मौजा महादेव मंदिर व खसरा संख्या 659 रकबा 34.07 बीघा मौजा पीराणी साईयों की ढाणी पटवार क्षेत्र परेऊ तहसील गिड़ा में आया हुआ है जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा है। वादी का शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है। राजस्व रेकर्ड में हिस्सा कस्सी खुली हुई नहीं है तथा परन्तु भूमि का विधिवत रूप से बंटवाडा किया हुआ नहीं है, इसलिये पक्षकार के मध्य वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से व कब्जा काश्त को लेकर तनाजा बना रहता है, वादग्रस्त भूमि में अपने हिस्से की भूमि में अपना हिस्सा घोषित करवाकर वाई मीटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा करना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम से जारी सम्मनों पर सम्यक तामील नहीं करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बायतु को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार बायतु द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उतरदाता/वादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार बायतु द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bound सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं क्योंकि सभी पक्षकारों की सहमति से हल्का पटवारी व आर. आई. मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार उभयपक्षकारान के रूबरू विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। अपीलांट द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवाड़ा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। अपीलांटस को पूर्व में गलत रूप से विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के बारे में जानकारी नहीं थी परन्तु वर्तमान में अरसा 15–20 दिन पूर्व उतरदातागण द्वारा अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप कर अपीलांट को जबरन बेदखल करने की नियत से अपीलांट व उनके परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की गई तथा अपीलांटस को धमकी दी कि आपको पुराना कब्जा व ढाणी खाली करनी पड़ेगी तथा मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार बंटवाड़ा नहीं होकर उसके विपरित है जिस पर अपीलांटस को अपने हक हकुक संशयप्रद लगे तो अपीलांट ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर आलोच्य निर्णय एवं डिक्री की नकल दिनांक 18.06.2020 को मांगी जो तैयार होकर दिनांक 26.06.2020 को प्राप्त हुई जिस पर अपीलांटस को सर्वप्रथम आलोच्य निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी हुई। अपीलांटस को सम्पूर्ण तथ्यों की जानकारी हुई जिससे यह अपील अन्दर म्याद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण के नाम से जारी सम्मनों पर सम्यक तामील नहीं करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 12.12.1997 की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए पारित की उक्त विभाजन प्रस्ताव को तैयार करते वक्त अपीलांट को सूचना/नोटिस दिये बिना मौके पर कब्जा काश्त के विपरित तैयार किया गया। बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित एवं साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 07/1996 बअनवान जेठाराम बनाम किषनाराम वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.03.1999 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बायतु को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई समुचित का मौका दिया जाकर तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार बाई मिटस एण्ड बाउंडस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 10.10.2023 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(प्रशिक्षु कैलाश) राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 08.08.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर